राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 757/2010/जयपुर
एच.सी.एल.इनफोसिस्टम लिमिटेड
जयपुर — अपीलीर्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
उडनदस्ता,बांसवाडा
हाल सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय,बांसवाडा — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री विक्रम गोगरा
अभिभाषक — व्यवहारी की ओर से
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक 17.10.2016

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपीलप्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 158/आरवैअ/एनआरडी/07–08 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2010 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, बांसवाडा (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 2,78,700/–आरापित की है, को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि 24.10.2007 को नियमित चेकिंग के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर वाहन संख्या एमएच–04जीजी–5794 को चेकिंग हेतु रोका गया। वक्त चेकिंग वाहन में माइक्रो सेक्योर डिजिटल कार्ड (मोबाइल एसेसरीज) वहनित किया जा रहा था, जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर चालान नम्बर 118686,118687 व 18499, मैसर्स स्पीडेज एक्सप्रेस कारगो सर्विसेज का डोकेट नम्बर 672022029 दिनांक 22.12.2007 व मैसर्स एच सी एल इनफोसेक लिमिटेड,जयपुर का स्टॉक ट्रांसफर एडवाइज नम्बर 5000200004 दिनांक 22.12.2007 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त दस्तावेज की जांच पर पाया कि माल स्टॉक ट्रांसफर के रूप में एच.सी.एल.इनफोसिस लिमिटेड, जयपुर से उनके ब्रान्च एच.सी.एल.इनफोसिस लिमिटेड,बंगलौर के लिए वहनित किया जा रहा है,जिसके साथ वैट–49 का होना बाध्यकारी है । अतः कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.01.2008 के लिए जारी किया गया। नोटिस के जवाब में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जवाब के घोषणा पत्र वैट–49 संख्या 0578498 प्रस्तुत किया गया,जिसको

पश्चावर्ती सोच मानते हुए यह माना कि यदि वाहन की चेकिंग नहीं की जाती तो वैट–49 पेश नहीं किया जाता इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम सी.टी.ओ. (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2007 के आलोक में माल की कीमत पर 4 प्रतिशत की दर से वैट रू. 32760/– व 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 2,45,700/– आरोपित करते हुए कुल रू. 2,78,460/–मांग सृजित कर शास्ति आदेश दिनांक 17.01.2008 पारित किया। उक्त शास्ति आदेश क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने सृजित मांग को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2010 पारित किया है। उक्त अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में शास्ति आदेश पारित करने से पूर्व वैट–49 संख्या 0578498 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय राजस्थान राज्य बनाम डी पी मेटल्स (2001) 124 एस टी सी 611 के परिप्रेक्ष्य में नियमों की पालना मानी गयी है, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसको बाद की सोची हुई युक्ति मानकर अस्वीकार कर दिया गया। उनका कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय की व्याख्या अनुसार यदि वैट–49 संलग्न किये जाने की आवश्कता भी है तो बिना छानबीन एवं जांच पडताल के तकनीकी कारणों पर बिना दोषी मनोभाव प्रमाणित किये शास्ति आरोपण करना अनुचित है। उनका कथन है कि परिवहन के दौरान दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये अर्थात अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण दस्तावेज मौके पर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे । उनका कथन है कि प्रत्यर्थी की जानकारी में आते ही कि वैट–49 ड्राईवर भूल आया है, परिवहनित माल के साथ नहीं है, वैट–49 नोटिस के जवाब के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था,इसलिए हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी का कोई दोषी मनोभाव नही होने से मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी व अन्य निर्णय दिनांक 3.5.2007 लागू नहीं होकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी.मेटल्स (124 एसटी सी 611) लागू होता है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों पर गहनता से विचार कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गई, जो विधिक है।

उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 190/2012 मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,भिवाडी में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2013, एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 3/2011 मैसर्स हीरामणी फूड प्रोडक्टस,किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बांसवाडा एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2013 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जोधपुर द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 103/2009 सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन, वार्ड द्वितीय वृत–तृतीय,राजस्थान, जयपुर बनाम मैसस बैंक आफ नोवाककोटिया एवं अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2009 को को उद्धृत करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी–विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य में कर योग्य माल के राज्य के बाहर से आयात करने पर घोषणा पत्र वैट–49 का अन्य दस्तावेज यथा बिल एवं बिल्टी के साथ होना बाध्यकारी है, जबकि वक्त चेकिंग माल के दस्तावेजों के साथ वाहन चालक को कोई वैट–49 प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार वक्त परिवहन माल के साथ वैट–49 का ना होना अधिनियम की धारा 76 (2)बी) व सपठित नियम 53(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत विधिक रूप से कर व शास्ति आरोपित की गई है,जिसको विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा भी यथावत रखा गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–49 वक्त जांच नहीं होने कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर, उसकी पालना में घोषणा पत्र वैट–49 प्रस्तुत करना बाद की सोच (after thought) है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत शास्ति एवं 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करते हुए मांग सृजित की है,जो पूर्णतः विधिक एवं उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश में न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

सृजित मांग को यथावत रखा है, जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत किये गये निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–49 नही होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति व कर आरोपित किया गया है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2013 को पारित कर अपास्त किया गया है।

हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट–49 संख्या 0578498 नोटिस के जवाब के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है,जिसका उल्लेख अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में किया है। अतः घोषणा पत्र वैट–49 नहीं होने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति व कर आरोपित करना उचित नहीं है।

प्रकरण के तथ्यों से उजागर होता है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–49 नहीं पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया । नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा वैट–49 प्रस्तुत कर दिया गया थो तथा घोषण पत्र वैट–49 वक्त चेकिंग प्रस्तुत नहीं करने के कारणों को उजागर किया गया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स डी पी मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रृटि नहीं की है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उस सन्दर्भ में उद्धृत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट–2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very

same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट–2 पेज 37 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".....On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जोधपुर द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 103/2009 सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन, वार्ड द्वितीय वृत–तृतीय,राजस्थान, जयपुर बनाम मैसस बैंक आफ नोवाककोटिया एवं अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2009 में दिए गए सन्दर्भानुसार उद्धृत किया जाना समीचीन होगा :–

"It is the case of the department that the Incharge of the goods was not having the document ST18C at the time of checking on 18-10-2005 at Alwar Tiraha Delhi Road from Jaipur to Delhi but it is admitted case of the

department that on 20/10/2005 the said document was produced. Therefore, when the document required by the department has been produced, it does not appear to be a case of having intention to evade the tax. I do not find any impropriety or illegality in the impugned judgment of Rajasthan Tax Board,Ajmer".

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में नोटिस की पालना घोषणा पत्र वैट–49 प्रस्तुत किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे अस्वीकार कर शास्ति आरोपित करना उचित नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्तों की अनदेखी करते हुए आरोपित कर एवं शास्ति को यथावत रखा है, जो अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों के परप्रेक्ष्य में विधिक नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधी आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित शास्ति आदेश के अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य